गृह मंत्रालय

मांग संख्या 55

पुलिस

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1478.45	42025.76	43504.21	2994.78	46666.58	49661.36	2457.16	48216.09	50673.25	1233.00	51949.11	53182.11
पूंजी		***4491.68***	*1857.99*	*6349.67*	*7432.22*	*2357.18*	*9789.40*	*3542.84*	*2156.36*	*5699.20*	*6138.98*	*2803.43*	*8942.41*
जोड़		**5970.13**	**43883.75**	**49853.88**	**10427.00**	**49023.76**	**59450.76**	**6000.00**	**50372.45**	**56372.45**	**7371.98**	**54752.54**	**62124.52**
पुलिस													
1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	2055	0.32	10882.98	10883.30	4.00	11779.72	11783.72	2.00	12612.32	12614.32	1.70	13647.89	13649.59
	4055	...	240.84	240.84	...	385.79	385.79	...	251.80	251.80	...	439.79	439.79
	जोड़	*0.32*	*11123.82*	*11124.14*	*4.00*	*12165.51*	*12169.51*	*2.00*	*12864.12*	*12866.12*	*1.70*	*14087.68*	*14089.38*
2. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	2055	...	479.72	479.72	...	590.28	590.28	...	516.74	516.74	...	598.76	598.76
	4055	...	18.45	18.45	...	38.00	38.00	...	21.10	21.10	...	37.25	37.25
	जोड़	*...*	*498.17*	*498.17*	*...*	*628.28*	*628.28*	*...*	*537.84*	*537.84*	*...*	*636.01*	*636.01*
3. सीमा सुरक्षा बल	2055	1.37	10144.16	10145.53	1.50	11045.28	11046.78	1.00	11574.11	11575.11	5.00	12227.82	12232.82
	4055	...	148.09	148.09	...	195.24	195.24	...	142.35	142.35	...	285.00	285.00
	जोड़	*1.37*	*10292.25*	*10293.62*	*1.50*	*11240.52*	*11242.02*	*1.00*	*11716.46*	*11717.46*	*5.00*	*12512.82*	*12517.82*
4. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	2055	0.44	2979.50	2979.94	1.25	2989.69	2990.94	0.65	3343.77	3344.42	1.00	3646.67	3647.67
	4055	...	71.50	71.50	...	91.30	91.30	...	60.51	60.51	...	88.80	88.80
	जोड़	*0.44*	*3051.00*	*3051.44*	*1.25*	*3080.99*	*3082.24*	*0.65*	*3404.28*	*3404.93*	*1.00*	*3735.47*	*3736.47*
5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	2055	...	4290.01	4290.01	...	4701.72	4701.72	...	4917.91	4917.91	...	5169.02	5169.02
	4055	...	11.30	11.30	...	27.50	27.50	...	20.00	20.00	...	27.63	27.63
	जोड़	*...*	*4301.31*	*4301.31*	*...*	*4729.22*	*4729.22*	*...*	*4937.91*	*4937.91*	*...*	*5196.65*	*5196.65*
6. असम राइफल्स	2055	2.00	3176.61	3178.61	2.00	3490.21	3492.21	1.00	3351.29	3352.29	2.00	3723.28	3725.28
	4055	...	97.15	97.15	...	93.36	93.36	...	84.02	84.02	...	121.38	121.38
	जोड़	*2.00*	*3273.76*	*3275.76*	*2.00*	*3583.57*	*3585.57*	*1.00*	*3435.31*	*3436.31*	*2.00*	*3844.66*	*3846.66*
7. सशस्त्र सीमा बल	2055	1.83	2653.53	2655.36	1.25	2979.54	2980.79	0.75	3096.99	3097.74	0.52	3366.16	3366.68
	4055	...	63.40	63.40	...	87.00	87.00	...	57.00	57.00	...	87.00	87.00
	जोड़	*1.83*	*2716.93*	*2718.76*	*1.25*	*3066.54*	*3067.79*	*0.75*	*3153.99*	*3154.74*	*0.52*	*3453.16*	*3453.68*
8. सीपीएमएफ का विभागीय लेखाकरण संगठन	2055	...	66.18	66.18	...	89.60	89.60	...	76.13	76.13	...	83.74	83.74
9. राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड	2055	12.42	...	12.42	24.97	...	24.97	16.21	...	16.21	33.44	...	33.44

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	4055	0.02	...	0.02	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00	19.50	...	19.50
	जोड़	*12.44*	*...*	*12.44*	*29.97*	*...*	*29.97*	*18.21*	*...*	*18.21*	*52.94*	*...*	*52.94*
10. भूमि पत्तन प्राधिकरण	2055	...	4.44	4.44	...	19.80	19.80	...	6.00	6.00	...	10.65	10.65
	4055	...	...	...	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
	जोड़	*...*	*4.44*	*4.44*	*...*	*19.85*	*19.85*	*...*	*6.05*	*6.05*	*...*	*10.70*	*10.70*
11. आसूचना ब्यूरो	2055	...	1026.29	1026.29	...	1176.43	1176.43	...	1151.59	1151.59	...	1250.40	1250.40
	4055	...	23.91	23.91	...	20.00	20.00	...	11.20	11.20	...	20.00	20.00
	जोड़	*...*	*1050.20*	*1050.20*	*...*	*1196.43*	*1196.43*	*...*	*1162.79*	*1162.79*	*...*	*1270.40*	*1270.40*
12. आव्रजन ब्यूरो	2055	...	186.20	186.20	...	226.70	226.70	...	233.87	233.87	...	255.95	255.95
	4055	...	1.15	1.15	...	14.50	14.50	...	7.05	7.05	...	13.40	13.40
	जोड़	*...*	*187.35*										

प्रारंभ तथा यातायात संकेतों की स्थापना आदि के लिए है। प्रावधान में मोबाइल वैन और नियंत्रण कक्षों से पीडित पूर्व में प्राप्त विपत्ति सिगनल के समेकन की योजना के लिए आवंटन है,जिसे निर्भया कोष से पूरा किया जाएगा।

21. **अन्य पुलिस व्यय:** प्रावधान सीमा सुरक्षा बल के तहत अश्रु-गैस इकाई, बीजलेखन संबंधी दस्तावेज तैयार करने और अन्य सरकारो/ विभागों को भुगतान किए गए प्रभारों के लिए है। प्रशिक्षण और विकास तथा ई-गवेर्नेंस हेतु अवसंरचना के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत पृथक प्रावधान किया गया है।

22. **कल्याणकारी अनुदान:** प्रावधान आतंकवादी हमलों/विद्रोह का मुकाबला करने में मारे गए केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए है।

23. **अनुसंधान:** अनुसंधान गतिविधियों को सहायता।

24. **राज्यों को सहायता:** इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों को 100% सहायता अनुदानों के रूप में नकद और वस्तु रूप में सहायता प्रदान की जाती है जिसका उपयोग वाहनों की खरीद तथा वायरलेस उपस्करों, सुरक्षा से संबंधित व्यय और इंडिया रिज़र्व बटालियनों के गठन और सामाजिक आर्थिक अवसंरचना के विकास में सहायता, एनसीबी के संसाधनों के अंतराल को कवर करने के लिए गोरखालैंड भू-क्षेत्र प्रशासन को सहायता किलाबंदी वाले पुलिस थानों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण और नक्सल प्रबंधन हेतु सहायता के लिए गैर-आवर्ती व्यय हेतु किया जाएगा।

25. **संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता:** इस योजना के तहत, विधानमंडल सहित व रहित संघ राज्य क्षेत्रों को पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण के लिए नकद रूप में और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को संसाधनों का अंतराल कवर करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

26. **आव्रजन सेवाएं:** इस प्रावधान में सीमा जांच चौकियों के रखरखाव तथा अवैध आव्रजन को रोकने के लिए एकीकृत जांच चौकियों की स्थापना पर हुए व्यय हेतु राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति किए जाने वाले प्रभार शामिल हैं।

27. **आव्रजन, वीजा तथा विदेशियों के पंजीकरण तथा ट्रैकिंग के संबंध में मिशन मौड परियोजना:** यह प्रावधान मिशन मौड परियोजना के लिए है जिसका मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और समेकित सेवा प्रस्तुती संगठन बनाना है जो देश की सुरक्षा को मजबूत रखते हुए वैध यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है।

28. **पुलिस के लिए रिहायशी आवास का निर्माण:** प्रावधान केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों तथा दिल्ली पुलिस के लिए रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के कल्याण संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं के लिए किया गया है।

29. **पुलिस के लिए भवनों का निर्माण:** इसमें केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों, एसपीजी और दिल्ली पुलिस के लिए कार्यालय भवनों के निर्माण संबंधी व्यय शामिल है।

30. **सीमा प्रबंधन:** प्रावधान भारत-बांग्लादेश तथा भारत-पाक सीमाओं पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण, ओ पी टॉवरों के निर्माण, तेज रोशनी की व्यवस्था करने तथा उच्च-तकनीक युक्त निगरानी और पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर इस प्रकार के विभिन्न निर्माण संबंधी कार्यकलापों के लिए है।

31. **तटीय सुरक्षा:** प्रावधान गैर-कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए बेहतर निगरानी हेतु देश के तटीय क्षेत्रों में सचल जांच चौकियों की स्थापना करने के लिए है।

32. **सीमा कार्यों का रखरखाव:** प्रावधान, भारत-बांग्लादेश और भारत-पाक सीमाओं पर रखरखाव कार्य के लिए है।

33. **सीमा चौकियां:** प्रावधान, विभिन्न केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकियां स्थापित करने के लिए है।

34. **विविध मदें:** प्रावधान, जलयानों,वायुयानों, एयर विंग की खरीद और ऋणों एवं अग्रिम राशियों के लिए है।

35. **बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति:** प्रावधान, केन्द्र सरकार द्वारा निष्पादित की जाने वाली ड्यूटियों के लिए बटालियनों की तैनाती के कारण होने वाले व्यय की विभिन्न राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति करने के लिए है।

36. **पुलिस और अन्य बलों (सीएसएस) के आधुनीकरण की राष्ट्रीय योजना के प्रशासनिक खर्चों के लिए है।:** प्रावधान, 2014-15 के दौरान योजना आयोग द्वारा शुरू अमब्रेला स्कीम के केंद्रीय स्तर के प्रशासनिक खर्चों के लिए है।

37. **पूर्व में प्राप्त आपत्ति सूचनाओं के समेकन के लिए स्कीम:** यह प्रावधान मोबाइल वैन और नियंत्रण कक्षों से पीड़ित पूर्व में प्राप्त आपत्ति सूचनाओं के समेकन की स्कीम के लिए है, जो निर्भया निधि से पूरी की जाएगी।

38. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी):** यह स्कीम वित्त मंत्रालय द्वारा परिचालित की जाती थी और अब गृह मंत्रालय को अंतरित की गई है जो 2014-15 से प्रभावित होगी।

39. **पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्कीम:** यह एक केंद्र प्रायोजित अम्ब्रैला योजना है। राज्य यह निर्णय करेंगे कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप बढ़े हुए अपने संसाधनों में से इस योजना/कार्यक्रम को जारी रखेंगे(अथवा नहीं)।